



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

29 मई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना- सहकारी बैंक

दिनांक 08 मई 2026 की अधिसूचना सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं. एस809/08-09-015/2026-2027 के माध्यम से निम्नलिखित चार सहकारी बैंकों के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 20 मई 2026 को प्रकाशित किया गया है:

क्रम सं.	बैंक का नाम
1	कोंताइ को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोंताइ
2	प्राईम को-ऑपरेटिव बैंक लि., सुरत
3	श्री वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर
4	दि वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लि., सुरत

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/357

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक